



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

208-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025 (AGRAHAYANA 25, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 16th December, 2025

No. 30-HLA of 2025/71/28818.— The Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 30-HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Act, 2024.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Act, 2025.	Short title.
2. Clause (b) of section 6 of the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Act, 2024 shall be omitted.	Amendment of section 6 of Haryana Act 7 of 2024.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The sub-section (b) of Section 6 of the Act disqualifies any person who is “a deaf, mute or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease” from being nominated as a Member of the Board. The Act was enacted in the year 2010 in compliance of Supreme Court directions dated 07.05.2025 passed in W.P. (c) No. 83 of 2010 titled Federation of Lepy. Organ. (FOLO) Vs. Union of India and with the change in social structure where now physically challenged and terminally ill persons command great acceptability and respect in the society, to continue with the said provision appears unwarranted.
2. Hence, it is necessary to carry out amendment in the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Act, 2024 (7 of 2024) by way of enacting the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority (Amendment) Bill, 2025.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 30—एच०एल०ए०

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024

को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा संक्षिप्त नाम। जा सकता है।

2. हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 की धारा 6 के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा। 2024 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 6 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह बहरा, गूँगा या संक्रामक कुच्छ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है। फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीषक वाले डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित दिनांक 07-05-2025 के सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2024 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक संरचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित हैं, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।
2. इसलिए, यह आवश्यक है कि हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2024 का 7) में हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाए।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।